मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3572

11.08.2025 को उत्तर के लिए

सर्दियों के मौसम में वायु गुणवत्ता सूचकांक

3572. श्री तारिक अनवरः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए है, खासकर सर्दियों के दौरान जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक स्तर पर पहुँच जाता है;

(ख) हाल ही में जारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) के अनुसार देश में वन क्षेत्र की स्थिति क्या है और वनों की कटाई को रोकने, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और 33 प्रतिशत वन क्षेत्र के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु लचीलापन और जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए बनाई जा रही नीतिगत हस्तक्षेप योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जनवरी, 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्तर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सहित देश के 130 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

सभी शहरों द्वारा अपने-अपने शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने के लिए शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं। ये योजनाएँ वायु प्रदूषण के स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क की धूल, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, अपशिष्ट जलाना, निर्माण और विध्वंस संबंधी गतिविधियों, और औद्योगिक प्रदूषण को लक्षित करती हैं।

शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं शहर विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) जलाना, निर्माण सामग्री और उद्योगों को लक्षित करती हैं, जिनमें अल्पकालिक प्राथमिकता वाली कार्रवाई के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकाय, यातायात विभाग, पुलिस विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), आदि जैसी जिम्मेदार एजेंसियों को हितधारकों के रूप में शामिल करते हुए मध्यम से लंबी समय सीमा में क्रियान्वित किया जाना है।

इसके अलावा, आपात स्थिति में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, विशेष रूप से सर्दियों के मौसम के दौरान, जब प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषण का स्तर आमतौर पर बढ़ जाता है, एनसीएपी के तहत दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सहित सभी शहरों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)/आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ईआरएस) विकसित की गई है।

देश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख उपायों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। वायु गुणवत्ता सुधार के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में उठाए गए विशिष्ट उपायों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति (1988) देश के कुल भूमि क्षेत्र के कम से कम एक-तिहाई (33%) भाग को वन या वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखती है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है जो हर दो साल में देश के वन आच्छादन का आकलन करता है और अपने निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित करता है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार, देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादन 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन सहित वनों, वृक्ष संसाधनों और वन्यजीवों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की जिम्मेदारी है। वन एवं वृक्ष संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचे मौजूद हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980, तथा राज्य वन अधिनियम एवं नियम शामिल हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अधिनियमों/नियमों के तहत बनाए गए उपबंधों के अनुसार वनों और वृक्षों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करते हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्या से निपटने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.02.2021 को एक परामर्शिका जारी की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु 03.06.2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाथी, गौर, तेंदुआ, साँप, मगरमच्छ, रीसस मकाक, जंगली सुअर, भालू, नीलगाय और काले हिरण से जुड़े मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए दिनांक 21.03.2023 को प्रजाति-विशिष्ट दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

(ग) भारत सरकार अपने कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) भी शामिल है, जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, सतत कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय पर्यावास, स्वास्थ्य, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में नौ मिशन शामिल हैं। एनएपीसीसी जलवायु संबंधी सभी कार्यकलापों के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है। ये सभी मिशन देश में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सामना

करने की कार्यनीतियों पर केंद्रित हैं, और संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा संस्थागत रूप से कार्यान्वित किए जाते हैं।

इसके अलावा, चौंतीस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी-अपनी राज्य कार्य योजनाएँ (एसएपीसीसी) तैयार की हैं। ये एसएपीसीसी संदर्भ-विशिष्ट हैं और अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक राज्य की विभिन्न पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुकूलन कार्यनीतियाँ का प्रावधान करती हैं।

देश में अनुकूलन कार्यों में सहयोग करने के लिए, सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) की स्थापना की है। एनएएफसीसी उन अनुकूलन परियोजनाओं का सहयोग करता है जो राज्य द्वारा संचालित हैं और एसएपीसीसी और एनएपीसीसी के अंतर्गत प्रासंगिक मिशनों के तहत पहचानी गई आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर आधारित हैं।

भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जैव विविधता अधिनियम, 2002 और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश, विशेषकर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण के लिए विशिष्ट शर्तें निर्धारित करते हैं।

***

अनुलग्नक I

देश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपाय:

i. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत 80 से अधिक उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

ii. दिनांक 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानदंडों को लागू करना

iii. वाहन स्क्रैपिंग नीति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के लिए नियमावली

iv. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, हानिकारक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट, थर्मल ऊर्जा संयंत्र द्वारा राख का शत-प्रतिशत उपयोग के लिए अपशिष्ट प्रबंधन नियम

v. एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में फसल अवशेषों और थर्मल ऊर्जा संयंत्रों में कोयले (पेलेट्स/ब्रिकेट्स) का न्यूनतम 5% उपयोग करने का आदेश

vi. व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों को महत्वपूर्ण और गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए/एसपीए) के रूप में वर्गीकृत करना।

vii. वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार ने कई सक्रिय कदम उठाए हैं, जैसे कि दिनांक 1 अप्रैल 2018 से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और दिनांक 1 अप्रैल 2020 से देश के बाकी हिस्सों में वाहनों के लिए बीएस-VI ईंधन मानदंड लागू करना, वाहन स्क्रैपिंग नीति लागू करना और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना।

viii. इसके अलावा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत, कुल ₹57,613 करोड़ योजना परिव्यय में से ₹13,778 करोड़ का आवंटन इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों की तैनाती के माध्यम से शहरी परिवहन को बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है।

ix. इसके अलावा, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) और स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) स्थापित करने का निर्देश दिया है।

x. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 06.01.2025 को उन वाहनों के जिनकी उपयोग की अवधि समाप्त हो चुकी है, के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए पर्यावरण संरक्षण (जीवन-अंत वाहन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया।

xi. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम 2.0) योजना के तहत 130 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं शुरू की गई हैं।

xii. खुले में अपशिष्ट जलाने की समस्या से निपटने के लिए, जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) ऐप विकसित किया गया है और सभी 130 शहरों में नागरिकों

द्वारा शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण और स्थानीय निकायों द्वारा त्वरित समाधान के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, एनसीएपी के तहत स्थानीय निकायों को अपशिष्ट जलाने के लिए संवेदनशील स्थानों को साफ़ करने के निर्देश दिए गए हैं।

xiii. औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सहमति तंत्र के माध्यम से और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लागू ईआईए अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत जारी पर्यावरणीय मंजूरी के माध्यम से की जाती है। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 श्रेणियों के उद्योगों को ऑनलाइन उत्सर्जन एवं उत्प्रवाह निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

अनुलग्नक II

वायु गुणवत्ता सुधार के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में किए गए विशिष्ट उपाय:

i. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ समन्वय में एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुड़ी समस्याओं के समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए किया गया है।

ii. वायु प्रदूषण में अचानक वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) तैयार किया गया है और इसके कार्यान्वयन के लिए सीएक्यूएम द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जीआरएपी के अंतर्गत विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) स्तरों के लिए सूचीबद्ध कार्यवाहियाँ समय-समय पर लागू की जाती हैं।

iii. विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपाय निर्धारित करने वाले दिशानिर्देश जैसे डीजी सेट में आरईसीडी प्रणाली/दोहरी ईंधन किट का कार्यान्वयन, उद्योगों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग, परिवहन क्षेत्र में ईवी/सीएनजी/बीएस VI डीजल ईंधन को अपनाना, निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों का कार्यान्वयन आदि, पर सीएक्यूएम द्वारा जारी किए गए हैं।

iv. सीएक्यूएम द्वारा एनसीटी दिल्ली सरकार और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विशेष रूप से एनसीआर में बसों को स्वच्छतर मोड में परिवर्तित करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के किसी भी शहर/कस्बे के बीच चलने वाली सभी राज्य सरकार की बस सेवाएं दिनांक 01.11.2023 से केवल ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के माध्यम से संचालित की जाएंगी।

v. सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर स्थित थर्मल ऊर्जा संयंत्रों और एनसीआर में स्थित औद्योगिक इकाइयों के कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों में कोयले के साथ 5-10% बायोमास की सह-फायरिंग के निदेश जारी किए हैं।

vi. दिल्ली-एनसीआर में लाल श्रेणी में आने वाले वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित की गई है।

vii. दिल्ली स्थित औद्योगिक इकाइयां पीएनजी/स्वच्छ ईंधन पर स्थानांतरित हो गई हैं और एनसीआर स्थित परिचालन इकाइयां पीएनजी/बायोमास पर स्थानांतरित हो गई हैं।

viii. दिल्ली और एनसीआर में स्थित ईंट भट्टियों को जिग-जैग तकनीक में बदलने के निदेश जारी किए गए हैं।

ix. दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 से एनसीआर राज्यों में ईंधन के रूप में पेट कोक और भट्टी तेल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया।

x. दिल्ली-एनसीआर में अनुमोदित ईंधन सूची दिनांक 01.01.2023 से लागू है। एनसीआर में केवल पीएनजी या बायोमास पर काम करने वाले उद्योगों को अनुमति है, केवल उन

विशिष्ट उद्योगों को छोड़कर जहां तकनीकी, प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं के कारण अन्य ईंधन की विशिष्ट आवश्यकता होती है।

xi. एनसीआर में अनुपालन के लिए बायोमास आधारित बॉयलरों के लिए कड़े पीएम उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

xii. निर्माण और विध्वंस स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन लगाने और अन्य धूल नियंत्रण उपायों करने के लिए एनसीआर के डीपीसीसी और एसपीसीबी को निदेश जारी किए गए।

xiii. एनसीआर में धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सड़क स्वामित्व/रख-रखाव/निर्माण संबंधी एजेंसियों द्वारा "धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ" की स्थापना के लिए निदेश जारी किए गए।

xiv. निर्माण स्थलों के लिए धूल न्यूनीकरण उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी तंत्र (वेब पोर्टल के माध्यम से) शुरू किया गया है।

xv. दिसंबर, 2021 से सीपीसीबी द्वारा सीएक्यूएम की सहायता के लिए 40 टीमों को प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि वायु प्रदूषणकारी उद्योगों, निर्माण और विध्वंस स्थलों, दिल्ली-एनसीआर में डीजी सेटों का गुप्त निरीक्षण कर प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति और वायु (पी और सीपी) अधिनियम, 1981 के अन्य उपबंधों के अनुपालन की जांच की जा सके।

*****